

प्रेषक,

जयदेव सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य विधि आलेख अधिकारी,  
विधायी एवं संसदीय कार्य,  
विधायी प्रकोष्ठ,  
उत्तराखण्ड शासन।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, विधायी प्रकोष्ठ

देहरादून: दिनांक: 20 अगस्त, 2014

विषय: पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-12-विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए संलग्न अलोटमेंट आईडी संख्या R1408070017 दिनांक 12 अगस्त, 2014 (बी0एम0-09) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न उल्लिखित मद में कुल ₹1,00,000.00 मात्र (₹ एक लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	योजना/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
01	06-अन्य भत्ते	100
कुल योग ₹ एक लाख मात्र		100

(धनराशि हजार ₹ में)

- उक्तवत् स्वीकृत धनराशि का आय-व्ययक आवंटन आदेश अलग से जारी किया जायेगा।
- पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-08 में अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 07 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
- उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देते हैं जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
- उक्त सभी मदों में धनराशि का व्यय बजट प्राविधान की सीमाओं में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- धनराशि का उपयोग उसी निमित्त किया जाय, जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृति दी गई है।

8. धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा सर्वप्रथम पुराने देयकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. उक्तवत् स्वीकृत धनराशि के व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
11. उक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 में अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेतर-090-सचिवालय-12-विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान के अन्तर्गत 06-अन्य भत्ते के नामे डाला जायेगा।
12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 96NP/XXVII(5)/2014-15 दिनांक 14 अगस्त, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-बी0एम0-09।

भवदीय,

(जयदेव सिंह)  
प्रमुख सचिव।

संख्या -87 / XXXVI(3) / वि0प्र0 / 2014-15 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
02. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
03. वित्त अनुभाग-05, उत्तराखण्ड शासन।
04. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें (डाटा सेन्टर) 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
05. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
06. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(जयदेव सिंह)  
प्रमुख सचिव।



उत्तराखण्ड शासन  
(वित्तीय वर्ष 2014-2015)  
बी.एम. - 09

अनुदान संख्या - 007  
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 87/XXXVI(3)/V.P./2014-1

अलॉटमेंट आईडी - R1408070017  
दिनांक - 12-Aug-2014

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखातिरिक्त (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखातिरिक्त जिसमें धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी	(In Rupees) अभियक्ति
	2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें 00 090 सचिवालय 12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान 00 विधायी प्रकोष्ठ (Non Plan Voted)				2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें 00 090 सचिवालय 12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान 00 विधायी प्रकोष्ठ (Non Plan Voted)			
1	01 - वेनन 900000	291190	558810	50000	06 - अन्य भत्ते 100000 योग 100000	199000	850000	
2	03 - महंगाई भत्ता 990000	302768	637232	50000				
	योग			100000			940000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।  
पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेक्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून को उपलब्ध करायी

संख्या ~~196NR~~ / XXVII(5)/2014-15 दिनांक 14 अगस्त, 2014  
96NR

(जयदेव सिंह)  
प्रमुख सचिव,  
विधायी एवं संसदीय कार्य।


सेवा में,  
महालेखाकार,  
उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,  
माजरा, देहरादून।

(अरुणेंद्र सिंह चौहान)  
अपर सचिव,  
वित्त विभाग।

संख्या - / XXVII(5)/2014-15 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. मुख्य विधि आलेख अधिकारी, विधायी एवं संसदीय कार्य, विधायी प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
02. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
03. वित्त अनुभाग-05 उत्तराखण्ड शासन।
04. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें (डाटा सेन्टर) 23-लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
05. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
06. विभागीय आदेश पुस्तिका।

  
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)  
अपर सचिव,  
वित्त विभाग।